

क्रमांक:- आर.एन.सी./2024/जीबी/541


दिनांक:- 23/01/2024

कार्यालय आदेश

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल की जीबी की बैठक दिनांक 03.01.2024 के एजेन्डा संख्या 15 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो हेतु शुल्क बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त निर्णयानुसार निम्नांकित कार्यो हेतु शुल्क निर्धारित किये जाने के आदेश जारी किये जाते है। जो तत्काल प्रभाव से लागु होंगे।

| क्र. म. | कार्य | शुल्क |
|---------|---|-----------------|
| 1. | माईग्रेशन फीस | 500 रु.+ GST |
| 2. | फॉरेन वेरिफिकेशन फीस (नियमित) | 10000 रु.+ GST |
| 3. | फॉरेन वेरिफिकेशन फीस (अर्जेंट बेसिस पर) | 20000 रु.+ GST |
| 4. | गुड स्टेन्डिंग सर्टिफिकेट फीस | 25000 रु. + GST |

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(डॉ. शशिकान्त शर्मा)
रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक:- आर.एन.सी./2024/जीबी/542

दिनांक:- 23/01/2024

प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, श्रीमान निदेशक (जन. स्वा.) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
2. सर्वर रूम को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करे।
3. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।


रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर